क्या है सामाजिक अंकेक्षण?

समुदाय अपने हित से जुड़े मुद्दों या कार्यों की देख-रेख तथा मूल्यांकन जब अपने स्तर पर करता है तो उसे सामाजिक अंकेक्षण कहा जाता है। इसमें समुदाय सम्बन्धित विकास कार्यों तथा कार्यक्रमों की उपयोगिता, उनकी गुणवत्ता, लागत तथा उसकी सार्थकता आदि का विश्लेषण स्थानीय लोगों द्वारा किया जाता है। सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से समुदाय के हितार्थ किये गये कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए समुदाय को भागीदार बनाकर कार्यों को संचालित करने वाले अधिकारियों से जवाबदेही मांगी जाती है।

साधारण शब्दों में, कोई कार्य जिस रूप में होना चाहिए, उस रूप में हो रहा है या नहीं इसकी निगरानी जब समुदाय के माध्यम से की जाता है तो उसे सामाजिक अंकेक्षण कहा जाता है। सामाजिक अंकेक्षण के द्वारा यह भी सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है कि सम्बन्धित गतिविधि या परियोजना की रूपरेखा और क्रियान्वयन की प्रक्रिया स्थानीय परिस्थितियों में उत्तम एवं अनुकूल ढंग से प्रभावित होने वाले पक्षों की प्राथमिकताओं व अपेक्षाओं को पूरा करते हुए और जनहित को ध्यान में रखते हुए संचालित की जा रही है।

सामाजिक अंकेक्षण की आवश्यकता

1. सामुदायिक भागीदारी
2. मास्टर रोल की जॉच
3. अनियमितताओं पर रोक
4. जवाबदेही का निर्धारण
5. पारदर्शिता का निर्धारण
6. न्याय संगत प्रक्रिया
7. निष्पक्षता का निर्धारण (समानता के आधार पर कार्य अथवा मजदूरी का वितरण)
8. योजना के प्रभाव का मूल्यांकन
9. गलतियों में सुधार
10. सही दिशा का निर्धारण

सामाजिक अंकेक्षण किसका?

1. परिवारों का पंजीकरण
2. रोजगार कार्डों का वितरण
3. रोजगार आवेदनों की प्राप्ति
4. परियोजना सूची की तैयारी और स्थानों का चयन
5. निर्धारित तकनीकी का अनुपालन तथा कार्य आदेश का जारी होना
6. व्यक्तियों को काम का बंटवारा
7. कार्यों का क्रियान्वयन और देख-रेख
8. बेरोजगारी भत्ते का भुगतान
9. मजदूरी का भुगतान
10. काम का मूल्यांकन
11. ग्राम सभा में अनिवार्य सामाजिक ऑडिट (सामाजिक ऑडिट फोरम)

सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया

1. सामाजिक अंकेक्षण हेतु एक निर्धारित तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पंचायत के माध्यम से ग्राम सभा आयोजन किया जायेगा।
2. इस ग्राम सभा में कार्यालय अधिकारी द्वारा नियुक्त प्राधिकारी के द्वारा निर्धारित एजेण्डो के अनुसार पूर्ण विवरण होगा।
3. कार्यक्रम अधिकारी द्वारा नियुक्त सचिव के माध्यम से ग्राम सभा की कार्यवाही का विवरण दर्ज किया जायेगा।
4. ग्राम सभा में उपस्थित जिम्मेदार व्यक्ति (अधिकारी/कर्मचारी) द्वारा सम्बन्धित प्रश्नों के उत्तर (जो ग्राम सभा द्वारा पूछे जायेंगे) दिये जायेंगे।
5. रिपोर्ट बनाकर समीक्षा समिति को भेजी जायेगी। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट प्रक्रिया समाप्ति के दो दिनों के अन्दर जनपद स्तर पर गठित समीक्षा समिति को प्रेषित की जायेगी।
6. समीक्षा समिति कार्यवाही अथवा सुधार हेतु विषयों को जिला कार्यक्रम समन्वयक को प्रेषित करेगी।

सामान्य अंकेक्षण व सामाजिक अंकेक्षण में अन्तर

सामान्य अंकेक्षण	सामाजिक अंकेक्षण
1. बाहरी व्यक्ति द्वारा किया जाता है।	1. समुदाय के द्वारा किया जाता है।
2. सिर्फ वित्तीय अंकेक्षण किया जाता है।	2. सामाजिक कार्यक्षेत्र विस्तृत होता है।
3. लक्ष्य पर अधिक जोर दिया जाता है।	3. समुदाय की संतुष्टि पर विशेष जोर होता है।
4. व्यय ही अंकेक्षण का आधार होता है।	4. कार्यों के उद्देश्य की जाँच की जाती है।
5. देखा जाता है कि नियमानुसार कार्य किये गये है या नहीं ।	5. समुदाय एवं क्षेत्र पर असर देखा जाता है।
6. अधिकतम समुदाय की भागीदारी नहीं होती है।	6. अधिकतम भागीदारी समुदाय की होती है।
7. सामाजिक जवाबदेही नहीं होती।	7. सामाजिक जवाबदेही सुनिश्चित होती है।
8. जॉब का अधिकार सबको नहीं होता।	8. सबको जॉब का अधिकार होता है।
9. पारदर्शिता नहीं होती।	9. पारदर्शिता होती है व जनकल्याण की भावना निहित होती है।

सामाजिक अंकेक्षण के लिए

इसकी अध्यक्षता ग्राम सभा द्वारा नियुक्ति व्यक्ति करता है। नियुक्त प्राधिकारी एवं सचिव पी०ओ० द्वारा नियुक्त व्यक्ति होते हैं।

सामाजिक अंकेक्षण से पूर्व की तैयारी

समीक्षा समिति

इस समिति में निम्न व्यक्ति होंगे-

1. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (अध्यक्ष)
2. जनपद सदस्य
3. कार्यक्रम अधिकारी (समन्वयक)
4. अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
5. स्वयं सेवा समिति के एक प्रतिनिधि

1. सामाजिक अंकेक्षण की बैठक स्थान, समय की घोषण कम से कम 1 माह पूर्व हो।
2. प्रचार पर्याप्त व उचित ढंग से किया जाये।
3. अभिलेख कम से कम 15 दिन पूर्व से एजेण्डा के अनुसार तैयार हो उन्हें पंचायत में कोई भी व्यक्ति देख या पढ़ सके।

सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के चरण

सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया को तीन चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है-

ग्राम सभा की तैयारी

1. तिथि, स्थान, समय का निर्धारण
2. सम्बन्धित सभी पक्षों को सूचना देगें जिसमें-
   - ग्रामवासियों को मुनादी, दीवार लेखन आदि के जरिये जानकारी देना।
   - अन्य कर्मचारियों को लिखित सूचना देना।
3. निर्धारित तिथि व स्थल पर बैठक की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

ग्राम सभा का प्रारम्भ

1. ग्राम सभा का प्रारम्भ नियुक्त अधिकारी द्वारा सम्बोधन कर किया जायेगा।
2. ग्राम सभा के संचालन हेतु अध्यक्ष के मनोनयन हेतु आग्रह/प्रस्ताव किया जायेगा।
3. सर्व सम्मति से अध्यक्ष का मनोनयन होने के पश्चात् उनकी अनुमति से कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।
4. पिछली ग्राम सभा की कार्यवाही/विवरण को सुनाया जायेगा।
5. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव (कार्यक्रम अधिकारी द्वारा नियुक्त सामाजिक अंकेक्षण की ग्राम सभा हेतु) ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत के सभी कार्यों का आय-व्यय व्यौरा प्रस्तुत किया जायेगा।
6. पूरे हुए कार्य के सामाजिक अंकेक्षण सम्बन्धित प्रस्ताव भी वह लायेगा।
7. सभी अभिलेख अध्यक्ष के सामने प्रस्तुत कर ग्राम सभा के देखने के लिए रखेगा।
8. ग्राम सभा सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछने या आपत्ति करने के लिए उन्हें पर्याप्त समय दिया जायेगा।
9. कार्यक्रम अधिकारी द्वारा ग्राम सभा के लिए नियुक्त सचिव अभिलेखों का (मास्टर रोल + रोजगार पूंजी आवश्यक पपत्र इत्यादि) पढ़ कर सुनाएगा।
10. प्रश्न/आपत्ति आदि का समाधान क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा किया जायेगा।
11. अध्यक्ष की अनुमति से निगरानी व सतर्कता समिति के सदस्यों द्वारा कार्य के दौरान निरीक्षण की जानकारी ग्राम सभा में दी जायेगी।
12. अध्यक्ष की अनुमति से सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट (निर्धारित प्रारूप में) के बिन्दुओं पर चर्चा कर सामूहिक सहमति से रिपोर्ट को भरा जायेगा।
13. उसके बाद रोजगार सहायक इस कार्य में सृजित मानव दिवस व लाभान्वित परिवारों की जानकारी देकर आगामी कार्यों की जानकारी देगें ताकि श्रमिक उन कार्यों में भाग ले सकें।

कार्यवाही विवरण/रिपोर्टिंग

1. ग्राम सभा के सुचारू संचालन हेतु कार्यक्रम अधिकारी द्वारा सचिव नियुक्त किये जाते है जिसकी जिम्मेदारी निम्न है-
   - कार्यवाही लिखना
   - सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट की प्रविष्टियों को भरना
   - ग्राम सभा की कार्यवाही पूरी कर रिपोर्ट पर सभी के हस्ताक्षर और सभी औपचारिकता पूर्ण करना।
3. उसके बाद अध्यक्ष की अनुमति से ग्राम सभा की समाप्ति की घोषणा करना।

सामाजिक अंकेक्षण से लाभ

सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया मजबूत होने से बहुत से लाभ हो सकते हैं, जिन्हें हम प्रमुख रूप से चार वर्गों में विभक्त कर इस प्रकार देख सकते हैं।

अ. सामान्य लाभ

- इससे सामाजिक जागरूकता के रूप में सामाजिक पूँजी विकसित होगी।
- संगठन की वैधानिक स्थिति निर्मित होती है तथा संगठन और समुदाय के बीच में भरोसा बढ़ेगा।
- सहभागी प्रजातंत्र मजबूत होगा
- राज्य को समुदाय के प्रति उत्तरदायी बनाता है।

- राज्य को समुदाय के प्रति उत्तरदायी बनाता है।
- राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ती है।
- नीति निर्धारक और कार्यपालिका सजग होगी।
- समुदाय के अन्दर कामों के प्रति अपनत्व विकसित होगा।
- समुदाय और शासन के बीच की दूरी कम होगी।
- एक स्वस्थ, समुदाय पारदर्शी राज्य व जागरूक नागरिक बनाने में मदद मिलेगी।
- इससे समुदाय के हित में समुदाय की इच्छा के अनुसार प्रबन्ध के काम व तरीके विकसित करने में मदद मिलेगी।

ब. मजदूरों को मिलने वाले लाभ

- सही मूल्यांकन होने लगेगा, जिससे मजदूरों को उनके द्वारा किये गये कार्य की सही मजदूरी मिलेगी।
- भविष्य में उनकों कहाँ और कौन सा काम मिलेगा, इसकी जानकारी मिलेगी।
- शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी मिलेगी।
- ग्राम पंचायत में निर्माण कार्यों के प्रति वे अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और ग्राम के लिए कौन से कार्य महत्वपूर्ण है यह निर्णय ले सकेंगे।
- मजदर वर्ग भी यह जान सकेगा कि शासन द्वारा प्रदत्त मजदूरी/भुगतान राशि का सही उपयोग हो रहा है या नहीं।

स. ग्राम पंचायत को होने वाले लाभ

- गाँव में कराये जाने वाले कार्य स्थल का चुनाव स्थानीय लोगों द्वारा करने से सही स्थान का चुनाव हो सकेगा।
- मजदूरों को माप का आधार एवं कार्य अवधि की जानकारी मिलने के कारण भुगतान के समय विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी।

- ग्राम पंचायत की छवि में सुधार
- कार्य एजेन्सी नियमानुसार कार्य करने के लिए बाध्य हो जायेगी।
- अवांछनीय हस्तक्षेप नहीं होगा।

द. ग्रामीणों को मिलने वाला लाभ

- सभी ग्रामीण जागरूक होंगे कि ग्राम पंचायत के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है, जिससे एक स्वस्थ्य वातावरण तैयार होगा।
- सभी मजदूरों को काम मिलेगा।
- बेरोगारी नहीं होने से गरीबी दूर होगी।
- सभी ग्रामीणों को उनके कर्तव्यों की जानकारी होगी।
- जनता को अधिक से अधिक सूचनाएं मिलेगी।

सामाजिक अंकेक्षण की बाधाएं

सामाजिक अंकेक्षण निश्चित रूप से एक बहुपयोगी प्रक्रिया है, जो यदि समय से सम्पन्न हो तो बहुत लाभप्रद है, परन्तु विभिन्न हितभागियों द्वारा व्यक्तिगत/स्वार्थवश इसमें बाधाएं उत्पन्न की जाती है, जिन्हें हम इस प्रकार देख सकते हैं।

- लोगों को जानकारी नहीं है।
- ग्राम सभा की बैठक नहीं होती।
- होती भी है तो लोग नहीं आते हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, वे आवेदन नहीं लिख पाते।
- ढंग से मुद्देवार चर्चा नहीं होती।
- लोग डरते है, सवाल पूछने में उदासीनता है।
- केवल अपने हित के लिए इच्छुक है।
- सामाजिक सरोकार कम होते जा रहे हैं।
- नियमों प्रक्रियाओं का आदर नहीं।
- सरकारी योजनाओं का लाभ इसके उचित पात्रों को नहीं मिलता है।
- भ्रष्टाचार एवं पक्षपात होता है।
- आवेदन लिखने की आदत नहीं है।
- आवेदन लेने और उसकी पावती देने से मना करते हैं।
- काम चाहने वाले को 100 दिन का काम नहीं मिलता।
- ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से जुड़े पक्षों से तालमेल नहीं है।
- काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलता।

गोरखपुर एनवायरन्मेन्टल एक्शन ग्रुप
पोस्ट बाक्स नं० 60, गोरखपुर-273001
दूरभाष : 91 551 2230004 फैक्स : 91 551 2230005
ई-मेल : geagindia@gmail.com, geag@geagindia.org
वेबसाईट : www.geagindia.org

पैक्स
नई दिल्ली

सामाजिक अंकेक्षण

Social Audit